

# जेवर व नकदी चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

थाना प्रागपुरा की आठ वारदात सहित अन्य क्षेत्रों की 18 नकबजनी की वारदातों का खुलासा

पावटा, (निर्स)। प्रागपुरा थाना पुलिस ने चोरों में घुसकर जेवर व नकदी चोरी करने वाले शांति नकबजनी गैंग का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे थाना प्रागपुरा की 8 वारदात सहित अन्य थाना क्षेत्रों की करीब 18 नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है।

जिला कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम व वर्तमान में हो रही नकबजनी की घटनाओं के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली वैभव शर्मा के सुपरविजन एवं डीवाईएसपी विराटनगर शिप्रा राजवत के निर्देशन में प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित प्रागपुरा थाना पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रागपुरा थाना पुलिस ने चोरी व नकबजनी करने वाले गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग ने क्षेत्र में मई, जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर महिनों में आठ वारदातों को अंजाम दिया। प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि 8 मई को पविवादी विक्रम यादव निवासी ककराना ने, 10 जुलाई को रणवीर पुत्र मनभर निवासी पावटा ने, 18



प्रागपुरा थाना पुलिस ने नकबजनी गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सितम्बर को बबिता पत्नी हजारीलाल निवासी द्वारिकपुरा, 26 सितम्बर को हजारीलाल गुर्जर निवासी मीरापुरा ने, 28 सितम्बर को मनोज कुमार पुत्र बनवारीलाल निवासी पंडितपुरा ने, 7 अक्टूबर को लालचंद पुत्र रामवतार निवासी बेरीबांध ने, 22 अक्टूबर को लक्ष्मीनारायण मेहरा निवासी बेरीबांध

ने, 28 अक्टूबर को सरोज देवी पत्नी विनोद कुमार निवासी मांजूकोट ने प्रागपुरा थाने में अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर जेवर व नकदी चोरी करने का मामला दर्ज करवाया था। इस पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। गठित टीम वारदातों की रोकथाम व खुलासा करते


हुए शांति चोरी व नकबजनी गैंग के तीन अभियुक्त करणसिंह पुत्र बचन निवासी रडयो का बास थाना पाटन, अमन पुत्र राजू निवासी नाथूर थाना थानागाजी, रोहित पुत्र राजू निवासी नाथूर थाना थानागाजी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुद्ध मुक्तिमों द्वारा अन्य थाना क्षेत्रों ग्राम बकसीपुरा,

■ गैंग ने क्षेत्र में मई, जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर महिनों में आठ वारदातों को अंजाम दिया था

हसामपुरा थाना पाटन, ग्राम पवना थाना सरंड, ग्राम पुरुकोत्तपुरा थाना सरंड, ग्राम कौरतपुरा थाना सरंड, ग्राम ककराणा थाना विराटनगर, ग्राम हसामपुरा के पास मालियों की ढाणी थाना पाटन, ग्राम देवलाडी थाना पाटन, ग्राम मांदरी थाना थानागाजी, ग्राम कालाखेडा से पहले रैला के पास से थाना पाटन, ग्राम काचरा नांगल थाना पाटन, ग्राम नारेडा खेल मैदान के पास थाना सरंड, ग्राम शुक्ललाबास थाना सरंड, रडयो का बास थाना पाटन, घाटा व नारायणपुर के बीच बंजारा बस्ती थाना थानागाजी, कस्बा विराटनगर थाना विराटनगर, ग्राम छितौली से बाहर थाना विराटनगर में चोरी व नकबजनी की वारदातों को अंजाम देना कबूला है। प्रागपुरा थाना पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपियों पर अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। वहीं सभी आरोपियों में पछताह के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में करीब 18 वारदातों को भी कबूला है।

## लावारिस स्कॉर्पियो से एक क्विंटल डोडा-चूरा बरामद

पुलिस को तलाशी में आठ कट्टों में डोडा-चूरा मिला



रायला थाना पुलिस ने लावारिस स्कॉर्पियो से डोडा-चूरा बरामद किया।

भीलवाड़ा, (निर्स)। शाहपुरा जिले की रायला थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की एक क्विंटल 3 किलो डोडा-चूरा बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक धर्मेश सिंह के आदेश से भीलवाड़ा व शाहपुरा जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही

है। इसी के तहत गुरुवार सुबह डीएसटी ने रायला थाना प्रभारी बच्छराज को सूचना दी कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो में डोडा-चूरा मिला, जिसका वजन करवाने पर 1 क्विंटल 3 किलो 700 ग्राम पाया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित डोडा-चूरा जवाब कर एनडीपीएस एक्ट के तहत चर दण्ड कर मामले की जांच शुरू की है।

पुलिस को मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें रखे 8 कट्टों में डोडा-चूरा मिला, जिसका वजन करवाने पर 1 क्विंटल 3 किलो 700 ग्राम पाया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित डोडा-चूरा जवाब कर एनडीपीएस एक्ट के तहत चर दण्ड कर मामले की जांच शुरू की है।

## चार दिन बाद नदी में युवक का शव मिला

करौली, (नि.सं.)। करौली के कलेक्ट्रेट सिकिल निवासी एक युवक का चार दिन बाद शव मिला। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम



मृतक शशांक शर्मा।

■ मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया

संस्कार कर दिया। गत चार दिन पूर्व रविवार को रात आठ बजे युवक शशांक गायब हुआ था। उसकी घर वालों ने जगह-जगह तलाश की तो उसकी मोटरसाइकिल करौली-हिंडौन सड़क मार्ग स्थित पांचना पुल के पास मिली। इसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस प्रशासन तथा सिविल डिफेंस टीम को जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस टीम तत्काल सिविल डिफेंस इंचार्ज प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मौके पहुंची। सिविल डिफेंस इंचार्ज प्रदीप कुमार के दौरे पर सिविल डिफेंस टीम को बुधवार को डीप डाइव सर्व करे हुए शव का सुराग लगा तथा परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा शशांक की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद से

तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक शशांक शर्मा (22) पुत्र घनश्याम शर्मा पुरानी कलेक्ट्रेट निवासी था। इस मौके पर सिविल डिफेंस इंचार्ज प्रदीप कुमार के नेतृत्व में सिविल डिफेंस के सदस्य जयदेव, अखलाक, रामअवतार, फरमान, लोकेन्द्र, बालकृष्ण, वृजभूषण, पुष्येंद्र, ऋषि सैनी, ललित, भूपेंद्र, तरुण दुबे आदि का सहयोग रहा।

## कंटेनर से 2.80 लाख की शराब पकड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निर्स)। बिछोवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर से 2 लाख 80 हजार की महंगी शराब को जब्त की है। वहीं, कंटेनर ड्राइवर सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्लास्टिक के गमलों की आड़ में हरियाणा से शराब तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

बिछोवाड़ा थानाधिकारी ने बताया कि रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के जरिये शराब तस्करी की सूचना मिली, जिस पर उदयपुर की ओर से आ रहे एक कंटेनर को रुकवाया गया। ड्राइवर से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दिल्ली निवासी नागिंदर राय और उसके साथी ने अपना नाम हरियाणा



अवैध शराब परिवहन मामले में पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार किया।

निवासी मुकेशसिंह बताया है। ड्राइवर से कंटेनर में सामान के बारे में जानकारी ली तो उसने कंटेनर में प्लास्टिक के गमले होना बताया, जिस

■ हरियाणा से शराब तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे तस्कर

■ प्लास्टिक गमलों की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे

पर पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो कंटेनर में महंगे ब्रांड की शराब के कार्टन छिपाकर रखे हुए थे। पुलिस ने कंटेनर से महंगी ब्रांड के सात कार्टन शराब बरामद किए। वहीं, आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब शराब की कीमत करीब 2 लाख 80 हजार रुपए आंकी गई है।

## श्रमिक की तबीयत बिगड़ने से मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के निकट केरू में एक पत्थर की खान में काम करते श्रमिक की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। साथी श्रमिक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे मगर बाद में उसकी मौत हो गई। उसके भाई की तरफ से अब राजीव गांधी नगर थाने में मार्ग की रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने बताया कि मूलतः चित्तौड़गढ़ के अकोला हाल केरू में किराए पर रहने वाला ज्ञानसिंह केरू में ही पत्थर की खान में काम करता था। वह 19 नवंबर को काम कर रहा था, तब अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर उसे मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया। मगर उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी उपचार के जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस टीम तत्काल सिविल डिफेंस इंचार्ज प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मौके पहुंची। सिविल डिफेंस इंचार्ज प्रदीप कुमार के दौरे पर सिविल डिफेंस टीम को बुधवार को डीप डाइव सर्व करे हुए शव का सुराग लगा तथा परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा शशांक की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद से

## मजदूर ने फांसी लगाकर जान दी

भीलवाड़ा, (निर्स)। शाहपुरा के रायला थाना क्षेत्र में मॉडर्न मिल में मजदूर ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दी। रायला थाना के सामने स्थित मॉडर्न मिल के अंदर तीन-चार महिने से कार्यरत मजदूर की मौत हो गई। रायला थाना एएसआई रघुनाथ गुर्जर ने बताया कि मॉडर्न मिल के अंदर क्वार्टर बने हुए हैं। क्वार्टर के पास एक नीम के पेड़ पर मॉडर्न मिल का मजदूर लालबहादुर पिता रामलखन भुरतीया कोराव थाना ने फांसी लगाकर अपनी जीवनीला समाप्त कर ली। मॉडर्न मिल के कर्मचारियों ने उसके परिवार को सूचना दी, परिवार मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर रायला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वहां मोर्ची में शव को रखकर परिवार जनों के आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

## चूहे मारने की दवा खाकर युवक ने दी जान

डूंगरपुर, (निर्स)। एक युवक के परिजनों ने शादी के लिए मना किया तो युवक ने चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या कर ली। युवक उत्तरप्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला था। वह अपने भाइयों के साथ डूंगरपुर में तीन साल से पीओपी का काम रहा था। मृतक के भाई ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली थाना एसआई ने बताया कि कृष्ण कुमार भारतीय निवासी भट्टा शंकर नगर थाना गैसडी जिला बलरामपुर उत्तरप्रदेश ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने भाई कुलदीप, संदीप, मदीप और संजय के साथ तीन साल से डूंगरपुर में रहता है। वह डूंगरपुर में पीओपी का काम

■ लड़की के परिजनों ने शादी के लिए मना किया था, डिप्रेशन में आकर कदम उठाया

■ यूपी निवासी युवक अपने भाइयों के साथ डूंगरपुर में तीन साल से पीओपी का काम रहा था

करता है। संदीप अपने ही गांव की एक लड़की से फोन पर बात करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन

लड़की के परिवार वालों ने शादी करवाने से मना कर दिया। इससे संदीप डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद वह गुस्से में रहने लगा। डिप्रेशन के कारण कुतूहल को उसने चूहे मारने की दवा खा ली। तबीयत बिगड़ने पर उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव परिवार में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं एक डंपर तथा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं एक डंपर तथा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली मय साधारण मिट्टी को डिटेल किया गया। डंपर मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा मॉडलगाढ़ तहसील में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को अवैध परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जब्त किया।

## पांच हजार से ज्यादा निवाई स्वास्तिक ब्रांड मूंगफली तेल के रैपर मिले



कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर रैपर और अन्य सामान मौके से जप्त किया।

भीलवाड़ा, (निर्स)। शहर के सदर थाना इलाके के पालड़ी गांव में अवैध रूप से पाली के निवाई स्वास्तिक ब्रांड के नाम से तेल और अन्य रैपर के जरिए कॉपीराइट एक्ट कानून के उल्लंघन का खेल घड़ल्ले से चल रहा था। कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच हजार से ज्यादा रैपर और अन्य सामान मौके से जप्त किया है। कंपनी प्रतिनिधि प्रह्लाद राय ने बताया कि पाली में स्थित निवाई स्वास्तिक ब्रांड के नाम से भीलवाड़ा के

■ कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

पालड़ी गांव में अक्षय जैन द्वारा जैनम तेल फार्म पर धोखाधड़ी करते हुए नकली रैपर के जरिए व्यापार किया जा रहा था। कंपनी के प्रतिनिधि को इसकी शिकायत मिली तो उन्होंने जैनम तेल पर निगरानी शुरू की और शिकायत पुछा होने के

बाद सदर थाना पुलिस को इसके संबंध में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर सदर थाना प्रभारी उगामराम टीम के साथ पालड़ी स्थित जैनम तेल पर पहुंचे जहां पर पांच हजार से ज्यादा निवाई स्वास्तिक ब्रांड मूंगफली तेल के रैपर मिले जिनके जरिए जैनम ऑयल कंपनी का मालिक अक्षय जैन कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करते हुए धोखाधड़ी कर रहा था। कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच शुरू की है।

## अवैध खनन पर भीलवाड़ा प्रशासन की कार्रवाई

तीन बड़ी मशीनें, एक वाहन डंपर एवं 18 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिला कलेक्टर नमित मेहता के नेतृत्व में जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के तहत शुरूआत के दो दिनों में अब तक 19 प्रकरण बनाये जाकर 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है तथा 3 बड़ी मशीनें, एक वाहन डंपर एवं 18 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की गई हैं। खनि अभियंता चंदन कुमार ने जानकारी दी कि अभियान के तहत बुधवार को अलसुबह चार बजे सूचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, कोरेड़ा जोगेन्द्र सिंह, तहसीलदार रायपुर सावरलाल, पुलिस थाना रायपुर एवं बागोर तथा गिरदावर एवं पटवारी हल्का पनोतिया द्वारा ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर में आकस्मिक चैकिंग कर अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी की गई।

मौके पर दो जेसीबी मशीनें एवं चार ट्रैक्टर-ट्रॉली खनिज क्वार्टर फेलसपर का अवैध खनन करते पाये जाने पर जब्त किये गये। खनिज विभाग के तकनिकी



अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की।

कर्मचारी ओमप्रकाश आगाल द्वारा मौके पर अवैध खनन पिट की माप ली गई। मौके पर 426.61 टन खनिज फेलसपर एवं 121.89 टन क्वार्टर का अवैध खनन होना पाया गया। उक्त प्रकरण में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध लगभग 10 लाख रुपये की

पेनल्टी लगाई गई, जिसमें वसूली की कार्यवाही की जायेगी। सहायक खनि अभियंता सुनिल सनाहद द्वारा ग्राम लखमणियास, तहसील सहाड़ा में आकस्मिक चैकिंग के दौरान एक मशीन पोकेलेन को खनिज फेलसपर एवं क्वार्टर का अवैध खनन करते पाये जाने

पर जब्त किया गया। अवैध खनन पिट की माप कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पेनल्टी लगाई जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा विभागीय नियमों के तहत वसूली की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार उपखण्ड क्षेत्र गुलाबपुरा में खनिज बजरी के अवैध

■ अभियान के तहत दो दिन में 19 प्रकरण बनाये, 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज

परिवहन में लिप्त पाये जाने पर डिटेलनशुदा दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। शंभूगढ़ क्षेत्र में पुलिस द्वारा भी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध परिवहन में जब्त कर एफआईआर दर्ज करवाई गई तथा खनिज विभाग द्वारा वाहनों को जब्त कर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हमीरगढ़ क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध परिवहन में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं एक डंपर तथा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली मय साधारण मिट्टी को डिटेल किया गया। डंपर मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा मॉडलगाढ़ तहसील में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को अवैध परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जब्त किया।